


23/12/25

वकील पदकारान उप०। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी
गण ने विवेदन किया की अखिर अस्थायी
निषेधाज्ञा को वादोरेने बाद खींचा किया
जाता है वो कोई आवृत्ति नहीं है। अतः अधिवक्ता
वादी व प्रतिवादी के विवेदन को स्वीकार किया
जाकर दिनांक 8/11/25 को जारी अखिर
अस्थायी निषेधाज्ञा को खींचा जाकर
प्रतिवादी गण को वादोरेने दावा मीमा व दावा
रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का विवेदन हेतु
फावदा किया जाता है फावली फैसल शुभान
दोका नम्बर से काम दोका दखिल दफतरा से


अधिवक्ता अधिकारी चिडावा
- जिला सुन्डूर (राज.)

निष्ठावरण महेश लालकाशु लालकाशु
दि. 23/12/25 वादोरेने वादोरेने वादोरेने
